

वुडैफ. कक्ष

fooj . क	I nHkz	
çLrj	i "B	a[; k
çkDdFku	-	v
dk; ldkjh kj	-	vii
1 v/; k; 1 jkT; j dkj ds foRr		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	7
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.3	13
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.4	19
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.5	22
ऋण प्रबन्धन	1.6	27
अनुवर्ती कार्यवाही	1.7	28
2 foRrh; çcU/ku , oa ctVh; fu; U=. k		
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.1	29
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.2	30
3 foRrh; fj i kfVlk		
वैयक्तिक लेजर खाते/जमा खाते	3.1	35
भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.2	36
विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण	3.3	38
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.4	39
रोकड़ बही का अनुरक्षण न किया जाना	3.5	39
सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब	3.6	40
अधोषित लाभांश	3.7	41
इक्विटी/ऋणों का मिलान न किया जाना	3.8	42
लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.9	42

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	3.10	43
उपभोक्ता प्रमाणपत्र प्रेषित न किया जाना	3.11	43
लम्बित विस्तृत आकस्मिक बिल	3.12	44
जमाओं पर ब्याज का भुगतान न किया जाना	3.13	44
राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् अवशेषों का विभाजन	3.14	45
रोकड़ अवशेष में भिन्नता	3.15	45
धनराशियों को केन्द्रीय सङ्क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.16	45
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.17	46
i fJ f' k"V; kj		
i fJ f' k"V 1.1 राज्य का परिदृश्य		49
i fJ f' k"V 1.2 शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप		51
i fJ f' k"V 1.3 वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार		53
i fJ f' k"V 1.4 वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय		57
i fJ f' k"V 1.5 राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध ऑकड़े		59
i fJ f' k"V 1.6 (अ) वर्ष 2012-17 की अवधि में कर राजस्व (ब) वर्ष 2012-17 की अवधि में करेतर राजस्व		62
i fJ f' k"V 1.7 31 मार्च 2017 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार		63
i fJ f' k"V 1.8 आरक्षित निधियों का विवरण		65
i fJ f' k"V 2.1 पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में कमी के बावजूद व्याधिक्य		68
i fJ f' k"V 2.2 (अ) विगत वर्षों के व्याधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता (ब) वर्ष 2016-17 के व्याधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता		69
i fJ f' k"V 2.3 अनुदान/विनियोग जहाँ बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी		71
i fJ f' k"V 2.4 ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग		73
i fJ f' k"V 2.5 अनवरत बचतों वाले अनुदान		76
i fJ f' k"V 2.6 प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए		77
i fJ f' k"V 2.7 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग		79
i fJ f' k"V 2.8 वर्ष 2016-17 में अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण		83
i fJ f' k"V 2.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)		95
i fJ f' k"V 2.10 अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया		96

i f'f' k"V 2.11	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें	98
i f'f' k"V 2.12	व्यय का अतिरेक	101
i f'f' k"V 3.1	दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के वितरण का विवरण	103
i f'f' k"V 3.2	रोकड़ बही का अनुरक्षण न किया जाना	104
i f'f' k"V 3.3	वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे 31 मार्च 2017 तक बकाये थे	105
i f'f' k"V 3.4	वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे 31 मार्च 2016 तक बकाये थे	107
i f'f' k"V 3.5	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	108
i f'f' k"V 3.6	विभागवार / अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अन्तिम कार्यवाही मार्च 2017 तक लम्बित थी)	110
i f'f' k"V 3.7	चोरी, दुर्विनियोग, शासकीय सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार / श्रेणीवार विवरण	111
i f'f' k"V 3.8	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण	112
i f'f' k"V 4	'kCnkoyh 14vfrfjDr vkJdM4'	
	गणना का आधार	113
	पदों की व्याख्या	114
	प्रथमाक्षरी	116